

Dr. Mukesh Pancholi

Higher Education

(2) भारतीय चिकित्सा परिषद् (Medical Council of India-MCI) – परिचय –

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1933 के तहत की गई थी, जिसे अब निरस्त कर दिया गया। जिसमें भारत में व विदेशों में चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने के लिए उच्च योग्यता वाले एक समान मानक स्थापित करने का मुख्य कार्य किया।

आजादी के बाद के वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, व यह महसूस किया गया कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1933 के प्रावधान देश में बहुत तेजी से विकास और चिकित्सा शिक्षा की प्रगति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए 1956 में पुराने एक्ट को निरस्त कर दिया गया और एक नया कानून बनाया गया, इसे आगे 1964, 1993 व 2001 में संशोधित किया गया।

उद्देश्य –

1. स्नातक व स्नातकोत्तर दोनों ही चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों का रख-रखाव।
2. भारत या विदेशी देशों के चिकित्सा संस्थानों की चिकित्सा योग्यता की मान्यता के लिए सिफारिश।
3. मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता वाले डॉक्टरों का स्थायी पंजीकरण।
4. चिकित्सकीय योग्यता की पारस्परिक मान्यता के मामले में विदेशों के साथ संबद्धता स्थापित करना।

अध्यक्ष – डॉ. वी. के पॉल (NIT, योग)

मुख्यालय – नई दिल्ली

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (Indian Council for Agriculture Research - ICAR) – परिचय –

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग (DARE), कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

पूर्व में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जाना जाता था।

यह 16 जुलाई, 1929 को सोसाइटी पंजीकरण एक्ट, 1860 के तहत कृषि पर राॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था।

मुख्यालय – ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

कार्यक्षेत्र –

परिषद् पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन व पशु विज्ञान सहित कृषि अनुसंधान व शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन व प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है, साथ 101 ICAR संस्थानों व 71 कृषि विश्वविद्यालय पूरे देश में फैले हैं। यह कृषि संबंधी संस्थानों का जाल विश्व की सबसे बड़ी कृषि प्रणाली में से एक है।

ICAR ने अपने अनुसंधान व प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत में हरित क्रांति व उसके बाद कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसने कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, यह विज्ञान व प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्रों के साथ, विकास में लगा है, ताकि इस क्षेत्र के वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस क्षेत्र में स्वीकार किया जाए।

अध्यक्ष – श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री

Current Questions → विश्व दुग्ध दिवस – 1 जून का आयोजन

ICAR – भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, बरेली, यूपी में 4 दिवसीय का आयोजन किया गया।

नारा – 'दुध पीयो स्वस्थ रहो'

(4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE-National Council for Teacher Education) (सांविधिक निकाय) (राअशिप) –
इतिहास –

1973 के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केन्द्रीय व राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी, परिषद् का सचिवालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) के अध्यापक शिक्षा विभाग में स्थित था।

शैक्षणिक क्षेत्र में अपने प्रशंसनीय कार्य के बावजूद परिषद्, अध्यापक शिक्षा मानकों को बनाए रखने व असफल अध्यापक शिक्षा संस्थानों को बढ़ने से रोकने में अनिवार्य विनियामक कार्य नहीं कर पाई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व उसके अधीन कार्य योजना (POA) में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को सर्वथा दुरस्थ करने के लिए पहला उपाय सांविधिक दर्जे व अपेक्षित संसाधनों से युक्त NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्) की कल्पना की गई।

स्थापना –

एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 के अधीन (1993 का 73वां) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 17 अगस्त, 1995 से अस्तित्व में आई। अध्यक्ष – डॉ. सतबीर बेदी।

उद्देश्य –

NCTE का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित व समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों व मानकों का विनियमन व उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना इसका विषय है।

परिषद् के कार्य –

ऐसे सभी कदम उठाना परिषद् का कर्त्तव्य होगा, क्योंकि वह शिक्षक शिक्षा के नियोजित व समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए और शिक्षक शिक्षा के लिए मानकों के निर्धारण व रख-रखाव के लिए उपयुक्त हो सकता है व अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए एक्ट को लागू कर सकता है, अतः परिषद् –

- i. शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण व अध्ययन करते हैं, व उसके परिणाम को पुनः प्रकाशित करते हैं।

- ii. शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी के मामले में केन्द्र व राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, यूजीसी व मान्यता प्राप्त संस्थानों की सिफारिश करना।
- iii. देश में शिक्षक शिक्षा व उसके विकास का समन्वय व निगरानी करना।
- iv. स्कूलों में या मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में नियोजित होने के लिए न्यूनतम योग्यता या व्यक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
- v. शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए मानदंड बनाना, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड व चयन की विधि शामिल है, उम्मीदवारों की आयु, पाठ्यक्रम अवधि व सामग्री व मोड आदि।

- vi. नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए व शारीरिक व निर्देशात्मक सुविधाएं प्रदान करने स्टाफिंग पैटर्न व कर्मचारियों की योग्यता प्रदान करने के लिए, मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिशा-निर्देश देना।
- vii. शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षाओं के संबंध में मानक निर्धारित करना।
- viii. मान्यता प्राप्त संस्थानों की ट्यूशन फीस व अन्य प्रशुल्क प्रभार के बारे में दिशा-निर्देश देना।
- ix. विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा देना, व शिक्षक शिक्षा पर लागू करना।

- ix. समय-समय पर मानदंडों, दिशा-निर्देशों, मानकों की समीक्षा करना।
- x. विकास कार्यक्रमों के लिए नए संस्थानों की स्थापना।
- xi. शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।
- xii. ऐसे अन्य कार्य जो परिषद् को केन्द्र सरकार सौंपे।

रा. अ. शि. प. द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम –

निम्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए NCTE ने 28 नवम्बर, 2014 को संशोधित विनियम व मानदंड व मानक अधिसूचित किए हैं – जिसके अंतर्गत निम्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे -

- (A) बचपन शिक्षा में डिप्लोमा (Diploma in Early Childhood Education) करने के लिए पूर्वस्कूली शिक्षा में डिप्लोमा (Diploma in Pre School Education) करना होगा।
- (B) प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) के लिए आवश्यक है (Diploma in Elementary Education)
- (C) प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (B.El.Ed.) की डिग्री आवश्यक।
- (D) Bachelor of Education Programme के लिए B.Ed. की डिग्री आवश्यक।

- (E) मास्टर ऑफ एजुकेशन (M.Ed)
- (F) Diploma in Physical Education (DPED)
- (G) Master of Physical Education (MPED)
- (H) Open & Distance Learning System के माध्यम से B.Ed.
- (I) Diploma in Arts Education (Visual Arts)
- (J) Diploma in Arts Education (Performing Arts)
- (K) 4yr Integrated Programme (B.A. B.ed., B.SC. B.Ed, B.Com. B.Ed.)
- (L) B.Ed. Programme – 3yr Parttime
- (M) 3yr Integrated (B.Ed. – M.Ed.)

मुख्यालय – नई दिल्ली
क्षेत्रीय कार्यालय – (4)

- उत्तरी – जयपुर
- दक्षिणी – बेंगलोर
- पूर्वी – भुवनेश्वर
- पश्चिमी – भोपाल

Dr. Mukesh Patel